चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

15

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

मुख्य बिन्दु

- संस्थागत प्रसव की दर वर्ष 2015–16 (NFHS 4) में 70.2 प्रतिशत थी, जो 2019–21 (NFHS 5) में बढ़कर 85.7 प्रतिशत हो गई।
- छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 77 थी, जो वर्ष 2022 की स्थिति में घटकर 38 हो गई है।
- छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश का कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 थी, जो वर्तमान माह सितम्बर 2022 में 1.77 प्रति दस हज़ार है।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है।
- प्रदेश में वर्तमान में 46,059 आंगनवाड़ी एवं 5,644 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं।
- जल जीवन मिशन अंतर्गत सितंबर 2022 की स्थिति में कुल 14,94,614 परिवारों को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है वजन त्यौहार वर्ष 2022 के अनुसार कुपोषण की दर 17.76 प्रतिशत पर आ गई है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में कुपोषण की दर में 2.1 प्रतिशत् की कमी आई है।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार "स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल रोगों अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति से ही नहीं वरन् संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से है"। इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपचारात्मक के साथ साथ निवारक होना भी आवश्यक है। अनुपूरक घटक जैसे जल, स्वच्छता एवं पोषण आदि स्वास्थ्य की समग्र देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू है।

स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जिससे मानव की जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। कुपोषण, निम्न जीवन स्तर, बीमारियां तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी मानव की दक्षता में कमी लाता है। अतः यह आवश्यक है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को उच्च स्तर पर बनाये रखने के लिये इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में व्यय तथा विनियोग किया जाए, ताकि देश की मानव शक्ति कार्यकुशल एवं दक्ष बनी रहे।

सितंबर 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) की अवधि पूरी होने पर इन लक्ष्यों को और विस्तार देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगले 15 वर्षों यानी 2030 तक के लिए एक नया वैश्विक एजेंडा– सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) तय किया गया, जिनमें विश्व की बेहतरी के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया। इनमें लक्ष्य–3 सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने हेतु है।

15.1 मातृ स्वास्थ्य :– राष्ट्र के समग्र विकास और कल्याण में मातृत्व स्वास्थ्य का निर्णायक महत्व है। गर्भावस्था एवं प्रसव पूर्व एवं पश्चात् महिलाओं का पर्यवेक्षण देखभाल और सलाह, उपयुक्त औषधि तथा इलाज कुशल स्वास्थ्य कर्मियों एवं संस्थागत प्रसव के कारण मातृत्व मृत्यु दर में कमी परिलक्षित हुई। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन ने राज्य में मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

मातृ मृत्यु दर 2001–03 में एक लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 तथा राज्य में 379 थी। जो घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 103 व 160 (SRS Report 2017-19) हो गयी। SDG में 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 110 लाने का लक्ष्य रखा गया है। विगत वर्षो में प्रदेश में गर्भवती माताओं का प्रसव अस्पतालों में कराने के प्रति विश्वास बढ़ा है। शासकीय अस्पतालों में NFHS-4 वर्ष 2015–16 अनुसार 55.9 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS-5 वर्ष 2019–21 में बढ़कर 70.2 प्रतिशत हो गया है। NFHS-4 वर्ष 2015–16 अनुसार संस्थागत प्रसव 70.2 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS-5 वर्ष 2019–21 में बढ़कर 85.7 प्रतिशत हो गया है।

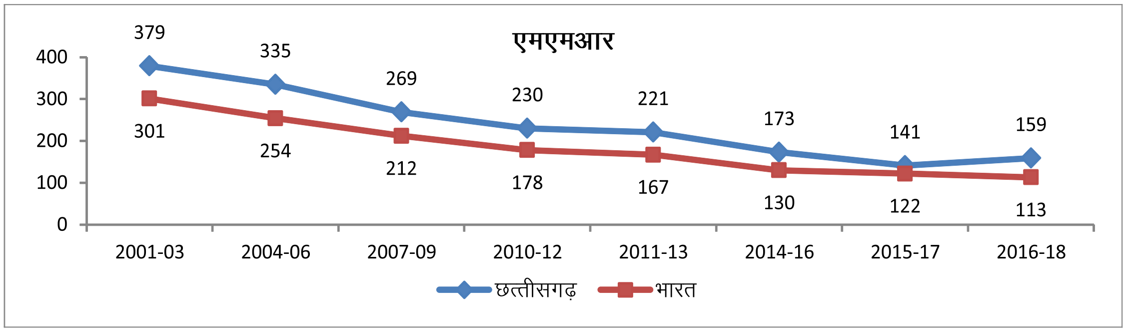

Source: Special Bulletin on Maternal Mortality in India, SRS, RGI

मातृ मृत्यु अनुपात में और कमी लाने के लिये विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों / योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है।

15.1.1 प्रसव पूर्व जॉच एवं संस्थागत प्रसव– प्रदेश में प्रसव पूर्व जांच एवं संस्थागत प्रसव में निरंतर वृद्धि हो रही है।

तालिका 15.1 प्रसव पूर्व जॉच एवं संस्थागत प्रसव

सूचकांक	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)
प्रथम तिमाही में ए.एन.सी. जांच (%)	70.8	65.7
कम से कम 4 ए.एन.सी. जांच (%)	59.1	60.1
संस्थागत प्रसव (%)	70.2	85.7

प्रथम संदर्भन ईकाईयों (First Referral Units-FRU) का क्रियान्वयन– राज्य में 57 प्रथम संदर्भन ईकाई का चिन्हांकन किया गया है। वर्तमान में 43 प्रथम संदर्भन ईकाई कियाशील हैं। इसके अतिरिक्त 21 Non-FRU सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी C-section की सुविधा उपलब्ध है।

प्रथम संदर्भन ईकाईयों के मापदंड

- प्रत्येक 5 लाख जनसंख्या में एक FRU
- विशेषज्ञ / विशेष दक्षता प्राप्त चिकित्सक की उपलब्धता।
- Blood Transfusion की उपलब्धता।
- आपात प्रसूति प्रबंधन के साथ सिजेरियन प्रसव की सुविधा।
- DHFRU में प्रतिमाह 50 से अधिक प्रसव एवं CHCFRU में प्रतिमाह 20 से अधिक प्रसव

15.2 जननी सुरक्षा योजना (JSY) :– जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि करने की अभिनव योजना है। इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव / घर प्रसव होने पर प्रसूता को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

तालिका 15.2 जननी शिशु सुरक्षा योजना	
पात्रता	प्रोत्साहन राशि
➢ शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर सभी गर्भवती महिला के लियेः–	
ग्रामीण क्षेत्र की महिला	a)राशि 1400 रूपये।
शहरी क्षेत्र की महिला	b)राशि 1000 रूपये।
➢ JSY अंतर्गत मान्यता प्राप्त समस्त निजी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर केवल BPL गर्भवती महिला के लियेः–	
ग्रामीण क्षेत्र की महिला	a)राशि 1400 रूपये।
शहरी क्षेत्र की महिला	b)राशि 1000 रूपये।
➢ घर में प्रसव होने पर केवल BPL (ग्रामीण एवं शहरी) गर्भवती महिला के लियेः–	राशि 500 रूपये।
BPL प्रमाण पत्र	

वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक 1.58 लाख हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है।

15.3 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)– गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता पूर्वक प्रसव पूर्व जॉच एवं जटिल प्रकरणों की समय से पहचान व उपचार हो इसे पूर्ण करने के लिये भारत सरकार द्वारा **''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' (PMSMA)''** का प्रारंभ राज्य में 09 मई 2016 से किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं **(MC/DH/CH/CHC** एवं चिन्हांकित PHC) में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (**PMSMA**) संचालित किया जा रहा है। जिसमें मेडिकल ऑफिसर / CEmONC/BEmONC (प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी)/स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निजी चिकित्सकों के द्वारा गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण

प्रसव पूर्व जॉच की जा रही है। 09 मई 2016 से माह अक्टूबर 2022 तक 11.71 लाख गर्भवती महिलायें लाभान्वित हुई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान **(PMSMA)** पोर्टल में 302 प्राइवेट डॉक्टर पंजीकृत है।

15.4 24X7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— प्रदेश में 24 घंटे आवश्यक प्रसूति सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया गया है। इन केन्द्रों में राज्य बजट एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है। वर्ष 2022—23 में माह अक्टूबर तक की स्थिति में 294 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिमाह औसतन 10 एवं 10 से ज्यादा प्रसव कराये जा रहे हैं।

15.5 शिशु स्वास्थ्य :— शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करना है। शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारकों में माता का स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व एवं पश्चात् नवजात की देखभाल, सामान्य जीवन स्तर, बीमारी की दर, पर्यावरण का स्तर आदि है। शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करने में छत्तीसगढ़ में प्रभावशील सुधार कार्य किये गये हैं। छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कारण राज्य स्थापित होने से अब तक शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्श 2001 (SRS 2001) में प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 77 थी, जो वर्ष 2022 की स्थिति में 40 से घटकर 38 हो गई है।

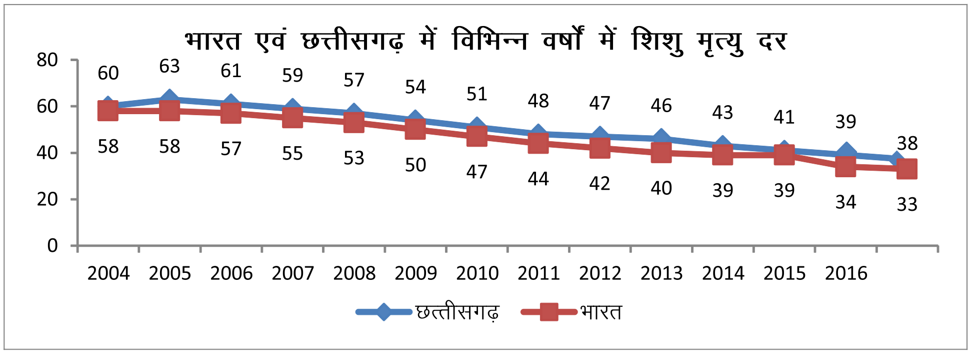

Source: SRS Reports

- **विशेश नवजात शिशु देखभाल इकाई (SNCU)** :– बीमार व कम वनज के नवजात (< 1800 ग्राम) शिशुओं को विशेश देखभाल (प्रमुख सर्जरी व कृत्रिम वैटिलेशन के अतिरिक्त समस्त देखभाल) प्रदाय करने के लिए जिला अस्पताल स्तर पर एस.एन.सी.यू. स्थापित की जाती है। वर्ष 2022–23 तक 26 एस.एन.सी.यू. क्रियाशील किये जा चुके है। एस.एन.सी.यू. के स्टाफ (डाक्टर व स्टाफ नर्स) को मेडिकल कॉलेज रायपुर में Facility Based New Born Care पर तथा के.ई.एम. अस्पताल, मुंबई में Observership प्रशिक्षण प्रदाय किया जाता है।

- **न्यूबार्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट (NBSU)** :– बीमार व कम वजन के नवजात (>1800 ग्राम) शिशुओं को कम समय के लिए देखभाल व स्थिरिकरण सुविधाएं प्रदान करने के लिए एन.बी.एस.यू. का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक एन.बी.एस.यू. में 03 रेडियंट वॉर्मर व 01 फोटोथैरेपी मशीन के द्वारा नवजात को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। वर्श 2022–23 तक कुल 178 एन.बी.एस.यू. क्रियाशील किए जा चुके हैं।

- **न्यूबार्न केयर कार्नर (NBCC)** :– प्रसव के तुरंत बाद समस्त नवजात शिशुओं को आवश्यक नवजात देखभाल प्रदाय किये जाने हेतु प्रसव कक्ष के एक कोने को एन.बी.सी.सी. के रूप में चिन्हाकिंत किया जाता है। एन.बी.सी.सी. ने रेडिएंट वॉर्मर स्थापित कर शिशु को आवश्यक जीवनरक्षक देखभाल प्रदाय की जाती है। एन.बी.सी.सी. जिला अस्पतला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर जहॉ प्रसव कराया जाता है, वहॉ स्थापित किया जाता है। वर्ष 2022–23 में 1701 एन.बी.सी.सी. क्रियाशील है।

15.6 टीकाकरण :– पूर्ण टीकाकरण की दर NFHS 3 (2005–06) में 48.7 प्रतिशत से बढकर NFHS 5 (2020–21) में 79.7 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। वर्ष 2021–22 में पूर्ण टीकाकरण (एक वर्ष तक के बच्चों) का कवरेज 90.5 प्रतिशत रहा तथा वर्ष 2022–23 हेतु अक्टूबर 2022 तक पूर्ण टीकाकरण (एक वर्ष तक के बच्चों) का कवरेज 53 प्रतिशत है। जापानीज़ इनसेफेलाईटिस टीकाकरण हेतु चिन्हाकित 06 जिलों (सुकमा, बीजापुर, दंतेवाडा, बस्तर, धमतरी एवं कोंडागांव) में माह अप्रेल–अक्टूबर 2022 तक 35,939 पात्र लाभार्थियों को प्रथम डोज़ तथा 29,659 पात्र लाभार्थियों को द्वितीय डोज़ लगाया गया।

आदिवासी आंचलों में टीकाकरण सुदृढीकरण हेतु NHM अंतर्गत अतिरिक्त बजट का प्रावधान कर विशेष दिशा–निर्देश प्रदान किये गये। राज्य हेतु विशेश योजना तैयार कर जिलों को प्राथमिकता के आधार पर विभाजित कर टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढीकरण हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

15.7 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) :– इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कि समाज में छिपे सभी रोगियों को खोजकर उन्हें बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये, ताकि रोग का प्रसार रूक जाये व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश का कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 था, जो वर्तमान माह सितम्बर 2022 में 1.77 प्रति दस हज़ार है। वर्तमान माह सितम्बर 2022 में राज्य में कुल 54,10 रोगियों को बहुऔषधि उपचार के अंतर्गत नियमित उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है।

तालिका 15.3 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भौतिक प्रगति

विवरण	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक	अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक
खोजे गये नये रोगियों की संख्या	6137	3639
रोगमुक्त रोगियों की संख्या	5138	2913
उपचाररत् रोगियों की संख्या	4684	5410
विकृति सुधार शल्यक्रिया	124	46
रोग प्रभाव दर	1.54	1.77

तालिका 15.4 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	कुल स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि
2019-20 (As on March)	1024.63	637.74
2020-21 (As on March)	954.84	306.90
2021-22 (As on March)	1386.11	619.44
2022-23 (Till September 2022)	1614.65	77.73

15.8 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वेक्टर जनित बिमारियां प्रचलित हैः मलेरिया, डेंगू, जापानीज एनसेफालाइटीस, फायलेरिया, चिकुनगुनिया एवं काला–आजार।

छत्तीसगढ़ राज्य में चार बिमारियां, मलेरिया, डेंगू, जापानीज इनसेफालाइटीस एवं फायलेरिया पाए जाते हैं। राज्य के उत्तर एवं दक्षिणी क्षेत्र में मलेरिया का अधिक प्रकोप रहता है। छ0ग0 के मध्य क्षेत्र में फायलेरिया के रोगी पाए जाते है। वर्श 2022 में राज्य के सभी जिलों से डेंगू प्रकरण पाये गये है।

15.8.1 मलेरिया उन्मूलन :— राज्य के बस्तर संभाग मलेरिया हेतु अतिसंवेदनशील क्षेत्र है। मलेरिया उन्मूलन के अंतर्गत त्वरित निदान हेतु सभी मितानिन, उप स्वास्थ्य केन्द्र में रेपिड डायग्नोस्टिक किट (आर.डी. किट) उपलब्ध कराई गई है, जिससे मरीजों का तत्काल पहचान कर सम्पूर्ण उपचार दी जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालय में अपातकालीन स्थिति में उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में माह अक्टूबर तक 45.88 लाख बुखार पीड़ितों की जांच की गई, जिसमें से कुल 26.16 लाख मरीजों की आर.डी.टेस्ट से जांच की गई। मलेरिया सकारात्मक प्रकरण कुल 24123 पाया गया जिसमें से 17981 प्रकरणों का आर.डी. टेस्ट से जांच उपरांत सकारात्मक पाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालय स्तर पर रक्तपट्टी बनाया जा कर जांच किया गया। रक्त परीक्षण के परिणाम मलेरिया सकारात्मक होने पर मरीज को मलेरिया के प्रकार अनुसार उपचार दिया जा रहा है। वाइवैक्स मलेरिया से पीड़ितों को 3 दिवस क्लोरोक्वीन गोली तथा 14 दिवस तक प्राइमाक्वीन गोली की खुराक, फैल्सीपेरम मलेरिया से पीड़ितों को 3 दिवस तक ए.सी.टी. गोली एवं दूसरे दिन में प्राइमाक्वीन गोली की एक खुराक, मिश्रित संक्रमण से पीड़ितों को 3 दिवस तक ए.सी.टी. गोली एवं दूसरे दिन से 14 दिन तक प्राइमाक्वीन गोली की खुराक दिया जा रहा है। प्रतिमाह केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला

तालिका 15.5 वर्ष 2020 से 2022 में मलेरिया रोग की एपियोडेमिलॉजीकल स्थिति

क्र.	विवरण	2020 (1जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक)	2021 (1जनवरी से 31 दिसंबर 2021 तक)	2022 (1जनवरी से 31 अक्टुबर 2022 तक)
1	रक्त पट्टी एवं आर.डी.टी. परीक्षण	4162288	4486737	4588615
2	सकारात्मक	36667	29733	24123
3	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरण	31200	25326	20289
4	रक्तपट्टी सकारात्मक दर	0.88	0.66	0.53
5	वार्षिक परजीवी सूचकांक	1.17	0.92	0.75
6	रक्त जांच फेल्सीपेरम दर	0.77	0.58	0.44
7	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरणों का प्रतिशत	87.60	86.86	84.11
8	मृत्यु	34	38	11

भारत सरकार, लालपुर, रायपुर में जांच किए गए रक्तपट्टी का क्रॉसचेक किया जाता है। जिले में पदस्थ मानव संसाधनों को कार्यक्रम के सुचारू संपादन हेतु विकासखंड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर तथा राज्य स्तर में समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्श 2022 में वेक्टर नियंत्रण गतिविधि अंतर्गत राज्य के वार्षिक परजीवी सूचकांक एक से अधिक वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत ग्रामों में कुल 11.45 लाख दीर्घकालीन कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी का वितरण किया गया है। जिसमें कुल 10 जिले के 19 विकासखंड के 485 उप स्वास्थ्य केन्द्र को मच्छरदानी वितरण हेतु चयनित किया गया था। राज्य के वार्षिक परजीवी सूचकांक दो से अधिक वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत ग्रामों में दो चक्र में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया है, जिसमें 22 जिले के 92 विकासखंड में किया गया है। कुल 84% जनसंख्या प्रतिरक्षित किया गया है। सभी स्तर पर मलेरिया रोधी दवाई एवं सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है। जन जागरूकता हेतु सभी स्तर पर विशेष प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

15.8.2 फायलेरिया उन्मूलन :–

- राज्य के कुल 19 फायलेरिया संवेदनशील जिलों में से जिला दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, एवं जांजगीर में सामुहिक दवा सेवन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें लक्ष्य के विरूद्ध 84.17% उपलब्धि है। लिम्फेटिक फायलेरिया प्रकरणों का अपंगता प्रबंधन हेतु जिला स्तर पर शिविर आयोजन कर मरीजों को घरेलू प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- चयनित जिलों में मरीजों के चिन्हांकन का कार्य संपादित कराया जा रहा है।

15.8.3 डेंगू नियंत्रण :– डेंगू शंकास्पद प्रकरण के एलाइजा पुष्टि हेतु राज्य में कुल 10 सेन्टीनल सर्वेलेंस चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर, कोरबा तथा जिला चिकित्सालय बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कबीरधाम एवं दुर्ग क्रियाशील है। 01 जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2022 तक 2566 डेंगू प्रकरण की पुष्टि की गई है। डेंगू के पुष्टि होने पर मरीज के घर के आस–पास मच्छर लार्वा पनपने के स्रोत जैसे कुलर, टंकी आदि का साफ–सफाई, नारियल के खोल, अनुपयोगी बर्तन आदि को नष्ट किया जा कर स्रोत नियंत्रण किया जा रहा है। सेन्टीनल सर्वेलेंस चिकित्सालय के आवश्यकतानुसार भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय वायरोंलॉजी संस्थान पुणे से जांच किट उपलब्ध कराया जा रहा है। डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वय से गतिविधि किया जा रहा है। डेंगू से बचाव हेतु प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

तालिका 15.6 वर्षवार डेंगू प्रकरण एवं मृत्यु

क्र.	वर्ष	प्रकरण	मृत्यु
1	2020	57	00
2	2021	1086	00
3	2022 (नवंबर)	2566	07

15.8.4 जापानीज एनसेफालाइटीस नियंत्रण :– जापानीज एनसेफालाइटीस के शंकास्पद प्रकरण के पुष्टि हेतु मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, सेन्टीनल सर्विलेंस चिकित्सालय के रूप में क्रियाशील है, राज्य के कुल 5 जिला बस्तर, दन्तेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा एवं कोण्डागांव से जे.ई. प्रकरण पायी गयी है। सेन्टीनल सर्वेलेंस चिकित्सालय के आवश्यकतानुसार भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय वायरोंलॉजी संस्थान पुणे से जांच किट उपलब्ध कराया जा रहा है। जे.ई. से बचाव हेतु प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। जे.ई. मरीज की पुष्टि होने पर प्रभावित क्षेत्र में सुअर आदि पशुधन को घर से बाहर रखने हेतु सलाह दी जा रही है।

तालिका 15.7 वर्षवार जापानीज एनसेफालाइटीस

क.	वर्ष	प्रकरण	मृत्यु
1	2020	13	04
2	2021	05	00
3	2022 (नवंबर)	18	01

15.9 पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम :– राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम डॉट्स रणनीति के साथ वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के समस्त टीबी रोगियों को उच्च गुणवत्ता की जॉच एवं उपचार उपलब्ध कराकर **''टीबी मुक्त प्रदेश''** बनाना है। एनटीईपी कार्यक्रम द्वारा टीबी के मरीजों को अतिशीघ्र खोजकर ईलाज प्रारंभ किया जाता है, जिससे टीबी का फैलाव एवं टीबी से होने वाले मृत्यु को रोका जा सकता है। डॉटस पद्वति (देख–रेख में दवा खिलाना) के माध्यम से टीबी का ईलाज प्रारंभ किया जाता है। छत्तीसगढ़ में राश्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम 15 अगस्त 2002 से 4 जिलों–रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं राजनांदगांव में प्रारंभ हुआ एवं 15 अगस्त 2004 तक समस्त जिलों में प्रारंभ किया गया।

राज्य में कुल 28 जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र, 155 टीबी यूनिट तथा 719 डेजिग्नेटेड माईक्रोस्कोपिक सेंटर द्वारा टीबी का उपचार एवं निदान की निः शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

15.9.1 मुख्य उद्देश्य–

- 90% सभी प्रकार के टीबी मरीजों के टीबी नोटिफिकेशन (खोज) प्राप्त करना।
- 90% उपचाररत नये धनात्मक टी.बी. मरीजों का सफल उपचार करना एवं 85% पुनः उपचार प्राप्त कर रहे टी.बी. मरीजों का सफल उपचार करना।

तालिका 15.8 भौतिक प्रगति			
क्र.	सूचक (Indicator)	अप्रैल 2021 से मार्च 2022	अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022
1	टीबी नोटिफिकेशन	33463	19.424
2	उपचार सफलता दर	86.08%	83.26%
3	टीबी मरीजों की एचआईव्ही की जॉच	96.9%	96.7%
4	संभावित ड्रग रजिस्टेंश टीबी मरीज की जॉच	15,789	9,012
5	जॉच में पाए गये ड्रग रजिटेंस टीबी मरीज	523	247

15.9.2 वर्ष 2022—23 में कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धि :

- **टी.बी. खोज अभियान -** माह जनवरी.फरवरी 2021 तक उच्च जोखिम समूहो में सघन टी.बी. खोज अभियान चलाया गया जिसमें 5,78,854 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया जिसमें से 76,00 का जॉच उपरांत 189 टी.बी. मरीज पाये गये। माह सितंबर—अक्टूबर 2021 को सघन टी.बी. खोज अभियान चलाया गया जिसमें 2,63,73,567 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया जिसमें से 33,268 का जॉच उपरांत 2,298 टी.बी. मरीज पाये गये। माह मई—जुलाई 2022 को सघन टी.बी. खोज अभियान चलाया गया जिसमें 2.6 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग किया गया जिसमें से 33,628 का जॉच उपरांत 1,119 टी.बी. मरीज पाये गये।

15.10 अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम — राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 से प्रारंभ किया गया था। प्रदेश में यह कार्यक्रम 1,978 से प्रारंभ हुआ । इसके अंतर्गत निःशुल्क मोतियाबिन्द आपरेशन, शालेय छात्रों को निःशुल्क चश्मा तथा अन्य नेत्र रोगों का उपचार किया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलों में संचालित है।

15.10.1 विशेष कार्यक्रम —

- दिनांक 25 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है।
- प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरूवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है।
- 12 मार्च को विश्व ग्लाकोमा दिवस मनाया जाता है।

तालिका 15.9 अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम भौतिक उपलब्धि						
क्र.	कार्यक्रम	अपेक्षित	2021–22		2022–23 अपैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक	
			उपलब्धियॉ	प्रतिशत	उपलब्धिया	प्रतिशत
1	मोतियाबिन्द आपरेशन	1,25,000	85178	68	59381	48
2	शालेय छात्र परीक्षण	6,00,000	800319	133	539682	90
3	चश्मा वितरण	35,000	23731	68	9479	27
4	प्रेसबायोपिक चश्मा	40,000	46741	117	23206	58
5	नेत्रदान	400	100	25	94	24

15.10.2 एम्बेसडर फॉर आई केयर :– राज्य में राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के सहयोग से शालाओं के 47,029 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 'एम्बेसडर फॉर आई केयर' बनाया गया है। इनके द्वारा प्राथमिक जॉच की जाती है और दृष्टि कम होने पर नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा चश्मा प्रदाय किया जाता है। इसमें अब तक लगभग 27 लाख छात्र लाभान्वित हो चुके हैं।

15.10.3 कॉम्प्रिहेन्सिव आई केयर :– इस कार्यक्रम अंतर्गत सितंबर माह में राज्य के समस्त जिलों के एक–एक विकासखण्ड का चयन कर उसके प्रत्येक ग्राम में घर–घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति का नेत्र परीक्षण किया जाता है । अब तक 20,442 ग्रामों के 2,55,72,745 व्यक्ति लांभावित हो चुके हैं।

15.10.4 बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह :– राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बालदिवस के उपलक्ष्य में **राज्य में** दिनांक 14–20 नवम्बर 2022 तक **''बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह''** का आयोजन किया जा रहा है । जिसमें स्कुलों के छात्रों को नेत्र परीक्षण एवं दृष्टि दोष पाये गये छात्रों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया जाना है तथा अन्य नेत्र रोग के छात्रों का उपचार किया जाता है।

15.10.5 टेली ऑफ्थल्मिक विजन सेंटर की स्थापना :– राज्य के 146 सी.एच.सी. में टेली ऑफथल्मिक विजनसेंटर की स्थापना की योजना है। विजन सेंटर में नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा मरीजों का नेत्र परीक्षण कर केन्द्रों के विशेषज्ञों से, उपचार हेतु आनलाइन परामर्श एवं रोगियों से वार्तालाप होगा। पायलट प्रोजेक्ट में 12 सीएचसी में टेली ऑफथल्मिक विजन सेंटर की स्थापना हो चुकी है एवं 20 केन्द्रों में प्रक्रियाधीन है। इससे दूरस्थ स्थानों के मरीजों को भी नेत्र विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ मिलेगा।

15.10.6 राष्ट्रीय राजमार्ग वाहन चालक नेत्र परीक्षण सप्ताह :– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समन्वय से दिसंबर से 18–24 दिसंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग में आने वाले स्वास्थ्य संस्था में वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण किया जाना है। राज्य के 18 स्थानों

पर टोल प्लाजा में भी वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण कर नेत्र सुरक्षा हेतु जागरूक किया जायेगा।

15.10.7 स्पेशल क्लीनिक :— सोमवार को ग्लोकोमा क्लीनिक, गुरुवार को रेटिना क्लीनिक, शनिवार को पीडियाट्रिक ऑथाल्मोजी क्लीनिक का आयोजन जिला अस्पताल में किया जाता है।

15.10.8 कार्ययोजना :— राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में घर—घर जाकर नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों की जाँच कर बेस हॉस्पिटल एप्रोच के तहत् मोतियाबिन्द आपरेशन तथा अन्य जटिल नेत्र रोगों का उपचार किया जा रहा है, नेत्र आपरेशन शिविर नहीं लगाये जा रहे हैं।

15.10.9 नेत्र बैंक :— राज्य में कुल 6 नेत्र बैंक तथा 4 कार्निया ट्रांस्प्लांट सेंटर है । नेत्रदान को बढ़ावा देने हेतु मेडिकल कालेज रायपुर एवं बिलासपुर में आई डोनेशन काउन्सलर को नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2025 तक राज्य को कार्निया ब्लाइंडनेस फ्री बनाने की योजना है ।

15.10.10 नेत्र वार्ड एवं नेत्र शल्य कक्ष का निर्माण :— बेमेतरा एवं मुगेली में डेडीकेटेड नेत्र अस्पताल निर्माण हो चुका है तथा बालोद में डेडीकेटेड नेत्र अस्पताल हेतु 70 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जो कि निर्माणाधीन है।

अन्य कार्यक्रम एवं उपलब्धियां

15.11 मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना

15.11.1 उद्देश्य — राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुये जनवरी 2020 से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंम्भ किया गया। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु प्रदान कर रहा है जिससे स्वस्थ एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके।

15.11.2 आवेदन हेतु पात्रता —_प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार (छत्तीसगढ़ सरकार की अद्यतन सूची अनुसार)

15.11.3 बीमारियों हेतु सहायताः—

बीमारियों के उपचार में सहायता प्रदान किए जाने हेतु अनिवार्य शर्तें—

- बीमारी का उपचार योग्य होना।
- जीवन की प्रत्याशा अवधि में औसत न्यूनतम् 2 वर्ष के वृद्धि की संभावना होना।
- एक बीमारी के उपचार हेतु एक ही बार स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

15.12 बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम, केन्द्र प्रवर्तित योजना :— राष्ट्रीय स्तर पर ''वृद्ध व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय नीति'' और ''माता—पिता और वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियिम 2007'' को ध्यान में रखते हुये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए ''राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्वास्थ्य परिचर्या'' योजना राज्य के समस्त जिलों में प्रारंभ किया गया है।

वर्ष 2022—23 में अप्रेल 2022 से सितम्बर 2022 तक ओपीडी 1058032, आईपीडी 65808, लैब सुविधा 440524, फिजियोथेरेपी सुविधा 79417, पीला कार्ड/फिटनेस गाइड बुकलेट 424005, होम विजीट 59194, supportive appliances 4068 सुविधा प्रदान किया गया। वयोवृद्ध दिवस सभी संचालित जिलों द्वारा मनाया गया, जिसमें वृद्धजनों को निःशुल्क वाकर एवं वाकिंग स्टिक बांटे गये। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष कार्ड (पीला कार्ड) प्रदाय कर निःशुल्क ओपीडी सेवायें दी जा रही है।

राज्य में ''माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा को राज्य के प्रत्येक जिलों में लागू किया गया है एवं सभी जिलों में वृद्धजनों हेतु जिला चिकित्सालयों में पृथक से ओपीडी सुविधा की व्यवस्था की गई है।

15.13 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा :— प्रदेश की जनता को आकस्मिक दुर्घटनाओं में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए 300 चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित 108 संजीवनी एक्सप्रेस के नाम से निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा कंर्सोटियम ऑफ JAES संस्था द्वारा 300 एम्बुलेसों के माध्यम से प्रदाय की जा रही है, जिसमें 30 ALS (एडंवास लाइफ सपोर्ट) एम्बुलेंस भी शामिल है।

108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है तथा एम्बुलेंस का परिचालन 24 घंटे 365 दिन किया जाता है। शुरूआत से 30 सितंबर 2022 तक कुल 27,77,348 मरीजों का 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचा कर सेवा प्रदाय किया गया।

तालिका 15.10 बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23 (सितम्बर 2022 की स्थिति में
ओपीडी	1500353	1058032
आईपीडी	69604	65808
लैब सुविधा	605778	440524
फिजियोथेरेपी सुविधा	100769	79417
पीला कार्ड/फिटनेस गाइड बुकलेट	611817	424005
होम विजीट	31162	59194
Supportive appliances	16562	4068

15.14 महतारी एक्सप्रेस सेवा :– छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का लाभ लेने हेतु 102 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस योजना का आरंभ किया। छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 23 अगस्त 2013 को 21 एम्बुलेंस के साथ बिलासपुर जिले से इस सेवा की शुरूआत की गयी। तत्पश्चात् वर्तमान में 324 एम्बुलेंसों का परिचालन 24 घंटे 365 दिन किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का प्रसव संबंधी सहायता, प्रसव पूर्व जॉच, नसबंदी एवं 01 वर्श के बीमार नवजात शिशुओं हेतु निःशुल्क 102 महतारी एक्सप्रेस सेवा का लाभ टोल फ्री नम्बर 102 पर कॉल कर लिया जा सकता है। शुरूआत से 30 सितंबर 2022 तक 63.33 लाख हितग्राहिओं को सेवा प्रदान किया गया है।

15.15 चिरायु योजना (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) :– चिरायु कार्यक्रम अंतर्गत 0–6 सप्ताह की आयु के नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण डिलवरी प्वाइंट के स्टॉफ द्वारा, 06 सप्ताह से 06 वर्ष की आयु क बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से तथा 6–18 वर्ष की आयु के बच्चों का शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से चिरायु दलों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं 44 बीमारियों के अंतर्गत चिन्हित बच्चों को उच्च संस्था में उपचार हेतु संदर्भन किया जाता है।

वर्ष 2022–23 (April to Sep 22) में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिरायु दलों के द्वारा कुल 19,951 स्कूलों तथा 39,608 आंगनबाडी केन्द्रों का भ्रमण कर कुल 30,24,569 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 466656 बच्चे बीमारी से ग्रसित पाये गये एवं 4,35,578 बच्चों का सफल उपचार किया गया है तथा 31,042 बच्चों को उच्च स्वास्थ्य संस्था में उपचार हेतु संदर्भित किया गया है।

समूह 'A' में 1002, समूह 'B' में 14213, समूह 'C' में 8,142, समूह 'D' में 3087 बच्चों का सफल उपचार RBSK अंतर्गत किया गया है।

15.16 डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना :–

15.16.1 योजना का उद्देश्य – योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा तक पहुंच में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की संख्या में विस्तार किया गया है। साथ ही पूर्व की योजनाओं के अंतर्गत अलग–अलग पात्रता मापदंड एवं प्रक्रियाओं, जिनके कारण मरीजों को उपचार हेतु औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए भटकना पड़ता था, को सरल बनाकर उपचार प्राप्त करने की आसान प्रक्रिया सुनिश्चित किया गया है।

15.16.2 योजनाओं का एकीकरण राज्य में मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, राश्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) आदि योजनाओं को एकीकृत कर माह जनवरी 2020 से डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के साथ राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित है।

15.16.3 डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:– योजनांतर्गत् पंजीकृत अस्पतालों में योजना के निर्धारित पैकेज अंतर्गत् भर्ती होने की दशा में अन्त्योदय व प्राथमिकता के राशन कार्डधारी परिवारों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत् सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (SECC) में निर्धारित वंचित श्रेणी (Deprived category) के अनुसार कुल 62 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष रू. 5 लाख तक नगद–रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध है। शेष सभी प्रकार के अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को रू. 50 हजार तक के नगद–रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

15.16.4 योजनांतर्गत् उपचार हेतु पात्रता के विभिन्न आधार – मरीज/हितग्राही निम्न आधार पर निःशुल्क ई–कार्ड बनवाकर उपचार सुविधा प्राप्त कर सकते हैं:–

- नवीनीकृत राशन कार्ड के माध्यम से।
- ऐसे हितग्राही जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है किंतु वे यदि आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत् पात्र परिवारों की सूची में शामिल हैं, तो वे सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में दर्ज एच.एच.आई.डी. नंबर या आयुष्मान भारत योजना के पी.एम. लेटर के माध्यम से।

- ऐसे परिवार/हितग्राही जो पूर्व में योजना का लाभ ले चुके हैं या फिर जिनके पास योजनांतर्गत् पूर्व में निर्मित ई–कार्ड उपलब्ध है, तो वे इस ई–कार्ड के माध्यम से।
- ऐसे परिवार/हितग्राही जिनके पास राशनकार्ड/सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में दर्ज एच.एच. आई.डी./आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत् पी.एम. लेटर/पूर्व में निर्मित ई–कार्ड कुछ भी उपलब्ध न हो तब भी वे अपने नाम से search करा कर योजनांतर्गत् लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

➢ **अस्पतालों का नेटवर्क** – योजनांतर्गत हितग्राही मरीज के लिए पंजीकृत शासकीय या निजी अस्पताल में पात्रतानुसार नगद–रहित उपचार की सुविधा है। राज्य में योजनांतर्गत् कुल 1,554 अस्पताल पंजीकृत हैं जिनमें से शासकीय अस्पताल 1,008 एवं निजी अस्पताल 546 हैं। ई–कार्डधारक हितग्राही देश में योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकता है।

योजनांतर्गत माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक रू. 970.02 करोड़ की राशि के 9.03 लाख से अधिक क्लेम एवं अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक रू. 652.36 करोड़ की राशि के 6.26 लाख से अधिक क्लेम किए जा चुके हैं।

15.17 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

15.17.1 राज्य में एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम :– राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नाको, नई–दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति की स्थापना वर्ष 2002 में की गयी। राज्य में एच.आई.वी. पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए सत्त रूप से अनेकों कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें क्रमशः 147 आई.सी.टी.सी. (समेकित परामर्श एवं जांच केन्द्र) केन्द्र, एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर लगभग सभी केन्द्रों मे एफ.आई.सी.टी.सी के माध्यम से एच.आई.वी. की जांच की सुविधा उपलब्ध है। 31 एस.टी.आई. (यौन रोग उपचार) केन्द्र, 08 ए.आर.टी. केन्द्र, 18 लिंक ए.आर.टी. केन्द्र, 33 ब्लड बैंक, 44 लक्षित हस्तक्षेप 06 लिंक वर्कर परियोजनाएं संचालित की जा रही है।

वर्ष 2007 से अक्तूबर 2022 तक कुल 67,47,668 लोगों को एच.आई.वी. जांच की सुविधा प्रदान की गयी जिसमें कुल 39,939 लोग एच.आई.वी. संक्रमित पाए गये। एच.आई.वी पाजीटीव का प्रतिशत 0.58% है।

राज्य के सभी एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को वर्ष 2006 के पश्चात ए.आर.टी. की सुविधा प्रदान करने हेतु 05 ए.आर.टी. केन्द्र क्रमशः डॉ.बी.आर. अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय मेकाहारा रायपुर, सिम्स बिलासपुर, महारानी चिकित्सालय जगदलपुर, जिला चिकित्सालय दुर्ग एवं सरगुजा में स्थापित किये गये थे। मार्च 2021 से राज्य में तीन नये ए.आर.टी. केंद्र कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिलों में प्रारम्भ किये जा चुके है। वर्तमान में कुल 08 ए.आर.टी.केंद्र राज्य में संचालित है।

कुल एच.आई.वी. संक्रमित लोगों में से 33,757 लोग ए.आर.टी. केन्द्र में पंजीकृत हुए हैं। जिनमें से आवश्यकतानुरूप 17,461 लोगों को माह अक्टूबर 2022 तक ए.आर.टी. की दवा निःशुल्क प्रदाय की जा रही है।

15.17.2 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण :–

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेस–1 (1992–1999)

- प्रथम चरण में मुख्यतः राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के द्वारा प्रचार–प्रसार करते हुए राज्यों में एच.आई.वी. की रोकथाम के लिए प्रयास किये गये।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेस–2 (1999–2007)

- द्वितीय चरण में मुख्य रूप राज्यों में राज्य एड्स नियंत्रण समितियों का गठन किया गया।
- राज्य समितियों द्वारा कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण एवं सहभागिता बढ़ायी गयी।
- स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से उच्च जोखिम समूहों (एच.आर.जी.) के व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास प्रारम्भ किया गया।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेस–3 (2007–2012)

- तृतीय चरण में नए संक्रमणों की रोकथाम।
- एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों की सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित करना।
- उच्च जोखिम समूहों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेस–4 (2013–2021)

- इस चरण में नये संक्रमण को शून्य के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया तथा कम

से कम 90% एच.आई.वी संक्रमित लोगों के ए.आर.टी केन्द्रों में पंजीकृत कराना और आवश्यकता अनुरुप ए.आर.टी. की दवा उपलब्ध कराना एवं अन्य विभागों के सम्मलित प्रयासों से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराना।

- चतुर्थ चरण में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई–दिल्ली भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 तक के लिये 95–95–95 का लक्ष्य दिया गया है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेस–5 (2021):

- इस चरण में ए.आर.टी केन्द्रों में शत प्रतिशत मरीजों को पंजीकृत कराना और आवश्यकता अनुरुप ए.आर.टी. की दवा उपलब्ध कराना है, साथ ही एच.आई.वी एक्ट को लागु करते हुये भेदभाव रहित वातावरण निर्मित करना है।

तालिका 15.11 छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध सेवाएं

केंद्र	संख्या	स्थान
एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र (ICTC)	147	छह मेडिकल कॉलेज में – 12 (रायपुर–3, बिलासपुर–2, जगदलपुर–1, राजनांदगांव–1, रायगढ़–1, अंबिकापुर–1), जिला अस्पताल – 26 सामुदायिक स्वा.केंद्र – 95 सिविल अस्पताल – 9, प्राथमिक स्वा. केंद्र – 4, शहीद अस्पताल – 1,
चलित समेकित परामर्श एवं जांच केंद्र	03	दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़
ए.आर.टी. केंद्र	08	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़
लिंक ए.आर.टी. केंद्र	18	दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बालौद, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, बलोदा बाज़ार, मुंगेली, कोरिया, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, जशपुर, केंद्रीय जेल रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर, ICC बिलासपुर जिला अस्पताल
केयर एंड सपोर्ट सेंटर	03	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर
ब्लड बैंक (नाको सहायतित)	33	जिला अस्पताल – 23 मेडिकल कालेज – 7, रेड क्रॉस, रायपुर – 1
रक्त संग्रहण हेतु मोबाईल वेन	02	मेडिकल कॉलेज रायपुर द्वारा संचालित
ब्लड ट्रांसपोर्टेशन वेन	04	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर
शा. एस.टी.डी. क्लिनिक	31	मेडिकल कॉलेज – 6 जिला अस्पताल – 24 सिविल अस्पताल –01
एन.जी.ओ. (लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम) (शहरी क्षेत्रों में कार्यरत)	44	राज्य के 20 जिलों में संचालित (सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा एवं बलरामपुर जिलों में संचालित नहीं है।
लिंक वर्कर स्कीम (ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत)	06 कुल–50 एन.जी.ओ. (लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम)	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव
OST सेंटर	06	बिलासपुर.–2, दुर्ग, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर

तालिका 15.12 वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु नई सुविधायें		
ए.आर.टी.केंद्र (शासकीय)	03	* राज्य में तीन नये ए.आर.टी. केंद्र **कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़** जिलों में मार्च 2021 में खोले जा चुके हैं।
ए.आर.टी. केंद्र (गैर सरकारी)	02	राज्य में दो गैर सरकारी ए.आर.टी. केंद्र रिम्स (RIMS) एवं शंकराचार्य मेडिकल कालेज में खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

तालिका 15.13 राज्य में एच.आई.वी.की अद्यतन स्थिति	
छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी.की अद्यतन स्थितिः– (वर्ष 2007 से अक्टूबर 2022 तक)	
कुल एच.आई.वी. जांच की संख्या (वर्ष अगस्त 2007 से अक्टूबर **2022** तक)	67,47,668
कुल एच.आई.वी. पॉज़िटिव की संख्या (वर्ष अगस्त 2007 से अक्टूबर **2022** तक)	38,939
छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी.की अद्यतन स्थितिः– (अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2022 तक)	
एच.आई.वी. जांच की संख्या (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	5,58,424
एच.आई.वी. पॉज़िटिव की संख्याः (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	1664
कुल ए.एन.सी. जांच (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	3,01,769
कुल ए.एन.सी. पॉज़िटिव (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	218
पॉज़िटिव महिलाओं का प्रतिषत (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	41 %
पॉज़िटिव पुरुषों का प्रतिशत (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	59 %
सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	24-49
सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग का प्रतिशत (25–49) (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	72%
कुल ए.एन.सी. पॉजिटिव का ए.आर.टी. में पंजीयन एवं उपचार (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	80 %
राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान का प्रतिशत (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	40 %
कुल संभावित टी.बी. मरीजों का रेफरल (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	9712(7.2%)
छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी.की अद्यतन स्थितिः– (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर 2022 तक)	
HIV Care के लिये ARTC में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर **2022**)	33,757
HIV Care के लिये अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर **2022**)	17,461
जो मरीज अब उपचार नही ले रहें है, उनकी संख्या (on ART, Pre ART ,Opted Out) (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर **2022**)	8343
HIV Care के लिये ARTC में कुल पंजीकृत मरीजों की मृत्यु संख्या (वर्ष नवंबर 2007 से अक्टूबर **2022**)	7953

तालिका 15.14 वर्षवार एच0आई0वी जांच एवं पाजिटिव का विवरण (कलेन्डर वर्ष)

वर्ष	एचआईवी जांच संख्या	एचआईवी पॉजिटिव संख्या	प्रतिशत दर
2007	25048	1119	4.47%
2008	51333	1508	2.94%
2009	108479	2184	2.01%
2010	147482	2287	1.55%
2011	144287	2563	1.78%
2012	208522	2910	1.40%
2013	251547	2838	1.13%
2014	283346	3146	1.11%
2015	346083	2894	0.84%
2016	494850	3041	0.61%
2017	703788	3301	0.47%
2018	867040	2829	0.33%
2019	1128476	3229	0.29%
2020	874498	2123	0.24%
2021	958528	2373	0.25%
2022 (sep)	558424	1788	0.32%
Total	**6747668**	**38939**	**0.58%**

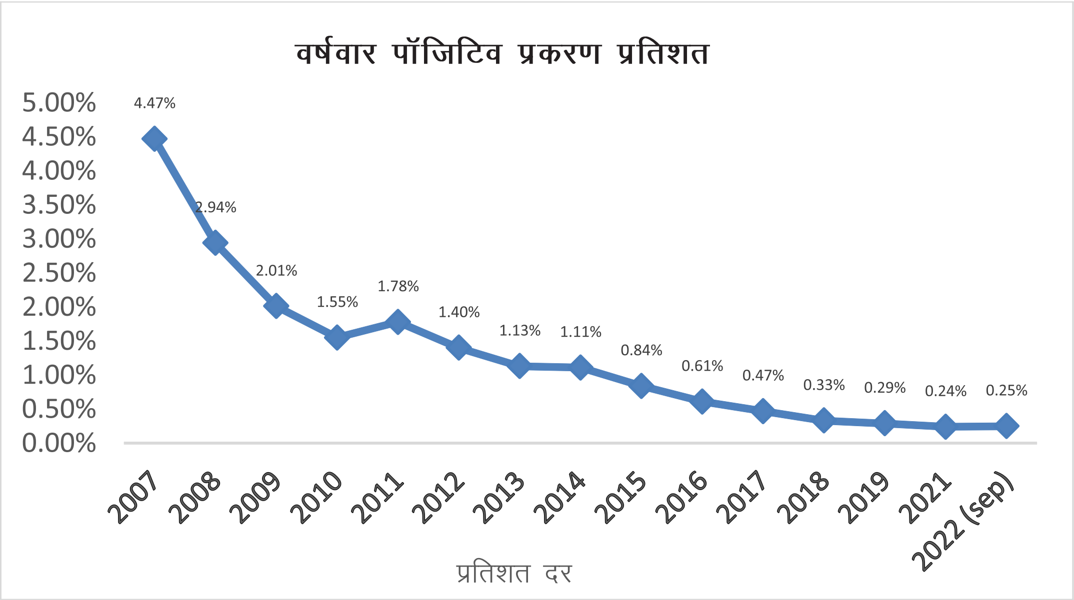

महिला एवं बाल विकास विभाग

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण दायित्व महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया है। एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण के साथ–साथ महिलाओं और बच्चों से संबंधित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी विभाग के पास है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम एवं योजनाएं गुणवत्ता उन्नयन, सामुदायिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, सहभागिता एवं प्रभावी पहुँच पर केन्द्रित हो रही है। विभाग, महिलाओं एवं बच्चों के विकास के मुद्दे के साथ–साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। बच्चों को सुपोषण की दिशा में निरंतर अग्रसर कर बेहतर पीढ़ियों के निर्माण करने के लिए विभाग निरंतर कार्य कर रहा है।

15.18 समेकित बाल विकास सेवा योजना :– भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया।

15.18.1 समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य :–

- बच्चों के उचित मानसिक (मनोवैज्ञानिक) शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।
- 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
- मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रूग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
- उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

15.18.2 समेकित बाल विकास परियोजना की सेवायें :–समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित छः सेवायें प्रदान की जाती है :–

तालिका 15.15 समेकित बाल विकास परियोजना की सेवायें:–

क्र.	सेवा	हितग्राही
1	टीकाकरण	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, किशोरी बालिकाएँ एवं 0–6 वर्ष तक के समस्त बच्चे।
2	स्वास्थ्य जॉच	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, धात्री माताएँ, 0–6 वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकायें।
3	संदर्भ सेवाएँ	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के 0–6 वर्ष तक के गम्भीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलायें/शिशुवती माताएँ।
4	पूरक पोषाहार	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, शिशुवती मातायें, 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे
5	स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त 15–45 साल की महिलायें, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं किशोरी बालिकायें।
6	शाला पूर्व शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की, 03–06 वर्ष तक के समस्त बच्चे

आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदण्ड:–

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केन्द्र :

1. 400–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र
2. 800–1600 जनसंख्या पर – 2 आंगनबाड़ी केन्द्र
3. 1600–2400 जनसंख्या पर – 3 आंगनबाड़ी केन्द्र

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :

150–400 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

आदिवासी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र :

300–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :

150–300 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

15.19 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण :– आईसीडीएस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सुदूर अंचलों में स्थित बसाहटों में भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत परियोजनाओं एवं केंद्रों की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका 15.16 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण								
क्र.	केंद्र / परियोजना	छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व स्वीकृत	प्रथम चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2005–06)	द्वितीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2007–08)	तृतीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2010–11) एवं 2011–12	सर्वव्यापीकरण के तहत नवीन स्वीकृत आं.बा. / मिनी आं.बा. केन्द्र	कुल स्वीकृत	वर्तमान में संचालित
1.	बाल विकास परियोजना	152	06	05	57	0	220	220
2.	आंगनबाड़ी केंद्र	20289	9148	5500	8826	2967	46660	46059
3.	मिनी आंगनबाड़ी केंद्र	836	0	1483	4229	532	5814	5644
	योग (2+3)	**21125**	**9148**	**6983**	**13055**	**3499**	**52474**	**51703**

15.20 वजन त्यौहार :– कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने के लिए 05 वर्ष तक के बच्चों का डाटा बेस तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। वजन त्यौहार वर्ष 2022 के अनुसार कुपोषण की दर 17.76 प्रतिशत पर आ गई है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में कुपोषण की दर में 2.1 प्रतिशत् की कमी आई है। राज्य शासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों से कुपोषण मुक्ति की दिशा में अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (2015–16) के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 37.7 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2020–21) के अनुसार घटकर 31.3 प्रतिशत रह गई है। इस प्रकार कुपोषण की दर में लगभग 6.4 प्रतिशत् की कमी आई है।

उम्र के अनुसार वजन की स्थिति पर एनएफएचएस–5 और सीएनएनएस के आंकड़ों का विशलेषण करते हैं तो 2018 में राज्य में 40 प्रतिशत् कुपोषण दर्शाया गया था। एनएफएचएस–5 के प्रतिवेदन में कुपोषण 31.3 प्रतिशत् पाया गया है। स्पष्ट है कि 2018 से 2021 के मध्य कुपोषण में 8.7 प्रतिशत् की कमी हुई है। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 (एनएफएचएस–4) में कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 35.8 प्रतिशत् था जबकि छत्तीसगढ़ में 37.7 प्रतिशत् कुपोषण था। वर्तमान एनएफएचएस–5 में कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 32.1 प्रतिशत् है जबकि छत्तीसगढ़ में कुपोषण 31.3 प्रतिशत् है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से ऊपर आ गया है।

15.21 मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना :– मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं, आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।योजना अंतर्गत वर्ष 22–23 में सितम्बर माह तक लगभग 42,737 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

15.22 शुचिता योजना :–

- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2017 को बालिका दिवस के अवसर पर शुचिता योजना का शुभारंभ किया गया।
- शुचिता योजना का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ अंचलों की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सेनेटरी नेपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त उपयोग में आये नेपकिन को भस्मक मशीन द्वारा सुरक्षित तरीके से नष्ट करना है।
- शुचिता योजना अंतर्गत शासकीय शालाओं में जहां कन्याएँ अध्ययनरत है, सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन तथा इंसीनीरेटर की स्थापना, साथ–साथ 10,000 नेपकिन की निःशुल्क आपूर्ति तथा 01 वर्ष तक मशीनों के रखरखाव एवं निःशुल्क सर्विस सेंटर का प्रावधान किया गया है।
- शुचिता योजना का विस्तार करने महाविद्यालयों तथा हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भी इकाईयाँ स्थापित की जाएगी।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में प्रावधानित राशि रूपये 1,100 लाख में से 1,000 हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में सेनेटरी वेंडिग मशीन एवं भस्मक इकाईयां स्थापित किया गया है।
- आगामी चरण में शत्–प्रतिशत् शालाओं में कन्या महाविद्यालयों में स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

15.23 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी.) :– किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित सबला योजना एवं किशोरी शक्ति योजना को भारत शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी) से प्रतिस्थापित किया गया है। इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष आयु समूह की शाला त्यागी बालिकाओं को पोषण आहार एवं गैर पोषण आहार सेवाओं से लाभान्वित किया जाना है।

भारत शासन द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशानुसार योजना अंतर्गत गैर पोषण आहार घटक का मुख्य उद्देश्य 11 से 14 वर्ष आयु समूह की शाला बाह्य बालिकाओं को शाला में प्रवेश/कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना है। गैर पोषण आहार घटक अंतर्गत किशोरी बालिकाओं हेतु निम्नलिखित सेवाएं प्रदान किया जाना है :–

1. आयरन एवं फॉलिक एसिड अनुपूरण।
2. हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज।
3. पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा।
4. शाला बाह्य किशोरी बालिकाओं को शाला प्रवेश, ब्रिज लर्निंग/कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ना।
5. जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन इत्यादि।
6. सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच (Counselling Guidance on accessing public services) हेतु परामर्श/मार्गदर्शन। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित है।

15.24 संस्कार अभियान :– महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ECCE) प्रदाय हेतु **''संस्कार अभियान''** संचालित किया जा रहा है। संस्कार अभियान के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था की सभी उप अवस्थाओं अर्थात गर्भावस्था, जन्म से 03 वर्ष एवं 03 से 06 वर्ष आयु समूह को शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत क्षमता विकास, संसाधन सामग्री का विकास, वातावरण निर्माण, अनुश्रवण तंत्र एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदाय संबंधी घटकों को शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय किये जाने हेतु बाल केन्द्रित एवं आयु आधारित पाठ्यचर्या विकसित की गई है। इस पाठ्यचर्या में बाल विकास के विविध क्षेत्रों यथा शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास, सामाजिक विकास, शाला पूर्व पढ़ने एवं लिखने की तैयारी तथा शाला पूर्व गणित का विकास शामिल है। पाठ्यचर्या के साथ 360 शाला पूर्व गतिविधि युक्त गतिविधि कोष भी तैयार किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु 52 सप्ताह के लिए एक सुव्यवस्थित समय सारिणी बनायी गयी है। जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को सभी आवश्यक विकास क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों का अनुभव प्राप्त होगा। एक विषयवस्तु से विविध अवधारणाएं सीखने का अवसर प्रदान करने हेतु थीम पुस्तिका तैयारी की गई है। 03 से 06 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चे का सतत् समग्र मूल्यांकन करने हेतु आयु आधारित आकलन पत्रक भी विकसित किये गये हैं।

संस्कार अभियान अंतर्गत विभागीय अमले की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा विषय पर क्षमता निर्माण हेतु व्यापक क्षमता विकास रणनीति निर्धारित की गई है।

15.25 मुख्यमंत्री सुपोषण योजना :—

6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 02 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रदेश के सभी 27 जिलों में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में यह अभियान प्रदेश के समस्त जिलों में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से संचालित है।

योजनांतर्गत हितग्राहियों को पौष्टिक आहार, परामर्श सेवाएं एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को गरम भोजन एवं अन्य पौष्टिक आहार यथा– अण्डा, दूध, लड्डू, चिकी आदि प्रदान किया जा रहा है। योजना का संचालन जिला स्तर पर जिले में उपलब्ध जिला खनिज न्यास निधि, सी.एस.आर. मद, जनसहयोग एवं जिले में उपलब्ध अन्य निधि से किया जा रहा है। योजनांतर्गत स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर योजना का संचालन किया जाता है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक लगभग 5 लाख 20 हजार हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं अन्य पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया है। योजना प्रारंभ से माह सितम्बर 2022 तक लगभग 2 लाख 45 हजार बच्चे कुपोशण से मुक्त हुये हैं।

15.25.1 पूरक पोषण आहार कार्यक्रमः—

3—6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे :—

- आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य मध्यम व गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन में चावल, रोटी, मिक्स दाल, सब्जी व गुड़ तथा सप्ताह में तीन दिन नाश्ते में रेडी टू ईट फूड का हलुवा, व तीन दिन पोहा का वितरण किया जा रहा है।

- नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन में शामिल कच्ची सामग्री (चावल छोड़कर) शेष सामग्री का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में लगभग 17,844 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा नाश्ता तथा गर्म भोजन का प्रदाय किया जा रहा है।

6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाएँ :–

- टेक होम राशन अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है। 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं मध्यम कुपोषित बच्चों को 125 ग्राम तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को 150 ग्राम के मान से रेडी टू ईट प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) प्रदाय किया जा रहा है।

- रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर द्वारा किया जा रहा है।

- पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 6 माह से 3 वर्ष आयु के लगभग 10.77 लाख बच्चों, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के लगभग 8.29 लाख बच्चों तथा लगभग 4.38 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को, इस प्रकार लगभग कुल 23.44 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है।

15.25.2 पोषण अभियान :–

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहत अभियान के रूप में राज्य के सभी जिलों में **पोषण अभियान** का शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में दिनांक 01.08.2022 को भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को नवीन स्वरूप सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में लागू किया गया है ।

- पोषण अभियान का उद्देश्य – बच्चों किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के कुपोषण एवं एनीमिया के दर में कमी लाना है ।

पोषण अभियान के मुख्य बिन्दु :–

- **आईसीटी–आरटीएम (पोषण ट्रेकर एप्प) के माध्यम से डाटा संप्रेषण :–** इस घटक के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों को मोबाईल प्रदाय कर आंगनबाड़ी के समस्त सूचकांको का प्रेषण व अनुश्रवण की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर एप्प मोबाईल फोन आधारित एप्लीकेशन तैयार किया गया है जो आंगनबाड़ी केन्द्र के रिपोर्टिंग को डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करता है। यह एप्प आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा संधारित पंजी के स्थान पर डिजिटल रिकार्ड का

काम करेगा। पोषण ट्रेकर पोर्टल अंतर्गत डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिए जाने वाले सेवाएँ, पोषण की स्थिति आदि जानकारी प्राप्त किया जा रहा है । पोषण ट्रेकर एप्प के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 13 जून 2022 से 17 जून 2022 तक किया गया । उक्त प्रशिक्षण में NeGD भारत सरकार के रिसोर्स पर्सन द्वारा समस्त जिलों के 154 मास्टर ट्रेनर्स (चयनित परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं जिला समन्वयक) को प्रशिक्षित किया गया । पोषण ट्रेकर एप्प के नवीन वर्जनों पर समय–समय पर ऑनलाईन द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

- **विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण (Convergence)** :– अंतर्विभागीय अभिसरण का उद्देश्य विभिन्न विभागों के माध्यम से बच्चों, किशोरी बालिकाएँ, गर्भवती, धात्री महिला एवं कुपोषण एवं एनीमिया में कमी लाने हेतु अभिसरण गतिविधियां करते हुए इस अभियान के माध्यम से कुपोषण दूर करने के लक्ष्य है । इस हेतु राज्य, जिला व विकासखण्ड स्तर पर अभिसरण बैठक का आयोजन किया जा रहा है । राज्य स्तर पर सहयोगी विभागों के नोडल अधिकारियों एवं डेव्हलपमेंट पार्टनर जैसे – युनिसेफ, वर्ल्ड विजन, न्यूट्रिशन इन्टरनेशनल, एविडेन्स एक्शन, अंतरा फॉउंडेशन आदि के साथ अभिसरण बैठक अंतर्गत गतिविधियों की समीक्षा एवं कार्ययोजना तैयार कर गतिविधियॉं क्रियान्वित किया जा रहा है । माह सितम्बर 2022 में आयोजित पोषण माह में सभी सहयोगी विभागों का सक्रिय सहभागिता प्राप्त हुआ ।

- **प्रोत्साहन राशि का प्रावधान (Incentive)**:– पोषण अभियान के आईसीटी–आरटीएम घटक अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने पर प्रतिमाह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर राशि रू. 500/– तथा सहायिकाओं को राशि रू. 250/–प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

- **जन आंदोलन (Public Movement - BCC - IEC)**:– पोषण अभियान के घटक जनआंदोलन का रूप देकर समुदाय की सहभागिता से कुपोषण से सुपोषण की ओर यात्रा का व्यापक स्वरूप दे रहा है। वर्ष 2022–23 अंतर्गत कुल 7,08,740 गतिविधि आयोजित की गई जिसमें कुल 2,25,45,647 प्रतिभागी शामिल हुए। विभिन्न

गतिविधियों का आयोजन किया गया । जैसे – राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं मैदानी स्तर पर साईकल रैली, एनिमिया कैम्प, सुपोषण रथ के माध्यम से प्रचार–प्रसार, ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों की बैठक, मातृवंदन सप्ताह गतिविधियॉं, पुरूषों की सहभागिता संबंधी गतिविधियॉं, बाल संदर्भ शिविर, छत्तीसगढ़ योग आयोग के साथ ऑनलाईन प्रशिक्षण, युनिसेफ एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर ऑनलाईन प्रशिक्षण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से सुरक्षित पेयजल एवं जल संचयन पर ऑनलाईन प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग के सहयोग से पोषण भी पढ़ाई भी पर ऑनलाईन वेबीनार का आयोजन किया गया । वृक्षारोपण, स्व–सहायता समूह की बैठक, पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता, गृहभेंट एवं परामर्श, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएॅं, वीएचएसएनडी के माध्यम से जागरूकता, गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन, कृषक समूह की बैठक, नारे लेखन, योग गतिविधियॉं, युवक समूह बैठक, पोषण रैली, सुपोषण चौपाल, स्थानीय त्योहारों को जोड़ते हुए गतिविधियॉं आदि ।

- **पोषण वाटिका** – उद्यानिकी, आयुष एवं पंचायत विभाग के साथ अभिसरण करते हुए राज्य में 17,376 आंगनबाड़ी केन्द्रों में, 3838 शासकीय भवनों में, 28,741 गांव/शहर के उपयुक्त स्थानों में एवं 87,160 घरों की बाड़ियों/छतों में पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया गया है।

15.26 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) :– 'अल्प पोषण' माँ एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। गर्भावस्था में काम नहीं कर पाने के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपायी, पर्याप्त विश्राम तथा अच्छे पोषण हेतु भारत शासन महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से पूरे देश में एक साथ लागू की गयी है।

योजनान्तर्गत 5,000/– रू. की सहायता राशि तीन किश्तों में क्रमशः गर्भ का पता चलने पर पंजीयन पश्चात् 1,000/– रू., 6 माह में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच उपरांत 2,000/– रू. तथा बच्चे के जन्म एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात् 2,000/– रू. की राशि सीधे ही हितग्राही को उनके खाते के माध्यम से दी जाती है। यह केवल प्रथम जीवित जन्म के लिए लागू है।

- राज्य में 28 जिलों के 220 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक 62,461 हितग्राहियों को कुल राशि रूपये 25.57 करोड़ का भुगतान किया गया है।

15.27 नोनी सुरक्षा योजना :– जनगणना वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ के बाल लिंगानुपात 1000:975 था जो जनगणना वर्ष 2011 में घटकर 1000:969 हो गया है। राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए ''नोनी सुरक्षा योजना'' शीर्षक से योजना दिनांक 01.04.2014 से लागू की गई है।

15.27.1 उद्देश्य :–

- प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना एवं बाल विवाह की रोकथाम करना है।

- छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 01 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतम दो बालिका योजनांतर्गत लाभ की पात्र है।

- योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12 वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 01 लाख रूपये परिपक्वता राशि दी जायेगी।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक की स्थिति में 5,096 हितग्राहियों को योजना अंतर्गत पंजीकृत किया जा चुका है।

15.28 सखी–वन स्टॉप सेंटर :– घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को आवश्यकतानुसार सुविधा/सहायता तत्काल उपलब्ध कराते हुए जरूरतमंद महिला को चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा, परामर्श सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना।

- छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत एवं संचालित है। वित्तीय वर्श 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक इन केन्द्रों में कुल 3,336 प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें से 2,600 प्रकरणों का निराकरण तथा 1,419 प्रकरणों में आश्रय प्रदान किया गया है।

15.29 महिला हेल्पलाईन 181 :— महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा/घटना के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से 181 महिला हेल्पलाईन का राज्य में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर अथवा अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाईन 181 का संचालन वर्ष 2016 से ही प्रारंभ किया गया है । वित्तीय वर्श 2022—23 में सितम्बर 2022 तक 1,680 प्रकरण दर्ज किये गये जिसके विरूद्ध में 882 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

- टोल फ्री नंबर 181 पर किसी भी सेवा प्रदाता के लैंडलाईन या मोबाईल नं. से 181 डॉयल किया जा सकता है। इसके अलावा वेबसाईट, ईमेल, फेसबुक, टिवट्र, व्हाटसएप इत्यादि माध्यमों से राज्य के किसी भी कोने से कोई भी महिला/बालिका सहायता की मांग कर सकती है। यह निःशुल्क सेवा है।

15.30 नवाबिहान योजना :— घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रावधानों के अनुरूप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा, आश्रय एवं पुनर्वास तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में नवाबिहान योजना संचालित है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता की नियुक्ति की गई है। वित्तीय वर्ष 2021—22 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक की अवधि में कुल 1,588 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 768 प्रकरणों का डी.आई.आर. तैयार किया गया एवं 730 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

15.31 मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता केन्द्र :— छत्तीसगढ़ में मानसिक बीमार एवं अवसादग्रस्त महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप इस तरह की महिलाओं/किशोरी बालिकाओं को समय—समय पर आवश्यकतानुसार परामर्श, सुरक्षा, संरक्षण तथा सहयोग उपलब्ध कराया जाकर मानसिक बीमार महिलाओं का समाजीकरण किये जाने हेतु रायपुर में आश्रयगृह संचालित किया जा रहा है। आश्रय गृह का संचालन लार्ड बुद्धा एजुकेशन सोसायटी के द्वारा वर्श 2014 से किया जा रहा है। आश्रय गृह की स्वीकृति क्षमता 50 महिलाओं की है। वित्तीय वर्ष 2020—21 में 86 महिलाओं एवं 01 बच्चे को आश्रय सुविधा प्रदान किया गया। वर्ष 2021—22 में सितंबर तक 66 महिलाओं को आश्रय प्रदान किया गया है।

15.32 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :— भारत शासन द्वारा लिंगानुपात दर में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करने, बालिकाओं की उत्तरजीविता व उनकी सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित

करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की औसत दर से 943 से निम्न स्तर पर आने वाले पूरे देश के 100 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दिनांक 22 जनवरी 2015 से लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022—23 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। इस संबंध में वर्ष 2022—23 के अनुपूरक अनुदान में 1.60 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

15.33 छत्तीसगढ़ महिला कोष अन्तर्गत ऋण योजना :—

महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाय करने तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, सुदृढ़ीकरण एवं आर्थिक गतिविधि के लिए वित्तीय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत दिनांक 2.2.2002 को किया गया है ।

- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व—सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ''ऋण योजना'' का संचालन दिनांक 15.8.03 से किया जा रहा है। योजनांतर्गत स्व—सहायता समूहों को अधिकतम 50000.00 रूपये तक का ऋण प्रथम बार में प्रदाय किया जाता है तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर 200000.00 रूपये तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदान किया जाता हैं। योजना के तहत यह ऋण 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 में 176 महिला समूहों को ऋण प्रदाय किया गया।

- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009—10 में ''सक्षम योजना'' आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर 1.00 लाख रूपये तक का ऋण प्रदाय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017—18 से यौन उत्पीड़न, एचआईवी पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) हितग्राही भी इन योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता रखेगी। इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 में 25 महिला हितग्राहियों को ऋण प्रदाय किया गया।

- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में ''स्वावलंबन योजना'' आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग की ऐसी महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो कानूनी तौर पर तलाकशुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें है, व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनके स्वावलंबी बनने का आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधि का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से यौन उत्पीड़न, एचआईवी पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) हितग्राही भी इन योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता रखेगी। जिला स्तर पर व्यायवसायिक दक्षता प्रदान करने एवं उनके स्वावलंबी बनने का आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधि का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत व्ही.टी.पी. के माध्यम से प्रदाय किया जाता है।

15.34 उज्जवला गृह योजना :– बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण की पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए उज्जवला योजना प्रदेश में संचालित है।

- भारत शासन द्वारा राज्य में बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में स्वैच्छिक संगठनों को संरक्षण एवं पुनर्वास गृह (पी एण्ड आर होम) संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- इस योजना में केन्द्र शासन, राज्य शासन तथा स्वैच्छिक संगठन का अशंदान का अनुपात 60:30:10 है।
- उज्जवला गृहों में इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक 55 महिलाएं एवं 19 बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया है।

15.35 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :– योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर विवाह कराया जाता है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रूपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। जिसमें 19000 रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 1,000.00 रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या

राशि रूपये 5,000.00 तक व्यय की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक 235 कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया।

15.36 मिशन वात्सल्य योजना :– मिशन वात्सल्य का प्राथमिक लक्ष्य है बच्चों के संरक्षण के लिए समर्पित और दक्ष कर्मियों, संरचनाओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना। योजना को कार्यक्रम में तब्दील कर बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण की कल्पना को साकार करना जिसकी अवधारणा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 में दी गई है, जिसके तहत उनके अधिकार सुनिश्चित किये गये है, ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता अनुसार विकास कर सके।

इस योजना का उद्देश्य है ''बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना'' ताकि मुश्किल परिस्थितियों में भी उनका विकास और कल्याण अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जा सके, इन प्रयासो से उन असुरक्षित परिस्थितियों को कम किया जा सकता है जो बच्चों को उनके परिजनों से दूर करती है और बच्चों से दुर्व्यवहार, उनकी उपेक्षा, शोषण का कारण बनती है।

राज्य बाल संरक्षण समिति एवं ईकाई – सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित यह समिति राज्य में बाल संरक्षण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करती है। समिति में बाल संरक्षण/विकास/कल्याण के लिए कार्यरत सभी शासकीय विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

- **राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण**– राज्य में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के समुचित क्रियान्वयन हेतु यह अभिकरण स्थापित है। दत्तक ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन है। केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया संपादित की जाती है। दत्तक ग्रहण हेतु अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता है। राज्य में दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी कार्यवाहियों का समन्वय इस अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया या प्रणाली की प्रचालनात्मक के साथ–साथ संभारीय मुददों को हल करने और अवरोधों को मिटाने के लिये सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में शासी निकाय का गठन किया गया है।

- **जिला बाल संरक्षण इकाई** – राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई गठित है। इकाई में बाल संरक्षण/विकास/कल्याण के लिए कार्यरत सभी शासकीय विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

- **विधि से संघर्षरत तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख कार्यक्रम :–**

  किशोर न्याय अधिनियम/मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत राज्य में संस्थागत देखरेख कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। देखेरख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए राज्य में शासकीय एवं अशासकीय बालगृह, खुला आश्रय गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित है जबकि विधि विरूद्ध कार्य करने वाले बालकों के लिए राज्य में शासकीय सम्प्रेक्षण गृह, शासकीय विशेष गृह एवं शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है।

- **बाल सम्प्रेक्षण गृह :–**
- विधि विरूद्ध कार्य करने वाले अण्डर ट्रायल बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल सम्प्रेक्षण गृह में रखा जाता है।
- राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, दंतेवाड़ा, जशपुर रायगढ़ राजनांदगांव तथा महासमुंद में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में बालिकाओं के लिए सम्प्रेक्षण गृह संचालित है।
- **विशेष गृह :–**
- किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दोषी पाये जाने उपरांत बच्चों को सुधारात्मक उपचार हेतु विशेष गृह में रखने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष आयु तक के ऐसे बालक जिनके विरूद्ध अपराध दोष सिद्ध है किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर विशेष गृह में रखा जाता है।
- वर्तमान में दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में बालिकाओं के लिए विशेष गृह संचालित है।
- **प्लेस ऑफ सेफ्टी :–**
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 की धारा 19(3) के अनुसार विधि विरूद्ध कार्य करने वाले ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिनके विरुद्ध जघन्य अपराध कारित करने का आरोप है या दोषसिद्ध है तथा 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन पर अपराध कारित करने का आरोप है जो अपराध कारित करते समय 18 से कम आयु

के रहे हों, को किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय के आदेश पर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जा सकता है।

- वर्तमान में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं सरगुजा में बालकों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है।
- **खुला आश्रय गृह** :– घुमन्तू, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे जिन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिलता अथवा संकटग्रस्त ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक है पर बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत नही हैं। ऐसे बच्चों को मुख्यधारा में लाने व दिन–रात आश्रय प्रदान करने हेतु खुला आश्रय गृह बालकों के लिए राज्य के दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में तथा बालिकाओं के लिए रायपुर एवं जशपुर में स्वीकृत है।
- **बालगृह** :– देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए आश्रय, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है उन्हें, बालक कल्याण समिति के आदेश पर बालगृह में रखा जाता है। राज्य में 06 शासकीय एवं 37 अशासकीय बालगृह संचालित हैं।
- **विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण**:– अनाथ, परित्यक्त तथा अभ्यर्पित बच्चे जिन्हें दत्तक पर दिया जाना होता है, उन बच्चों के लिए कार्यवाही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा की जाती है। इनकी क्षमता 10 बच्चों की होती है। वर्तमान में राज्य में कुल 13 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण रायपुर एवं बिलासपुर (दो ईकाई), रायगढ़, दंतेवाडा, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर, कवर्धा, जशपुर, बस्तर, कोरबा, राजनांदगांव एवं सरगुजा जिले में संचालित हैं।
- **''चाइल्डलाइन''(1098) द्वारा आकस्मिक सेवा** :– चाइल्डलाइन सुरक्षा एवं देख–रेख के जरूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे आकस्मिक फोन सेवा है जो उन्हें आपातकालीन सेवा एवं दीर्घावधि देख–रेख एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ती है। इस सेवा का प्रयोग कोई भी संकटग्रस्त बच्चा या उसकी ओर से कोई अन्य 1098 (टोल फ्री नं.) पर फोन कर सकता है। वर्तमान में कुल 25 जिलों क्रमशः बलरामपुर, बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, जांजगीर, गरियाबंद, कोण्डागांव, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, नारायणपुर, मुंगेली एवं सरगुजा में चाइल्ड लाईन की सेवाऐं उपलब्ध है, साथ ही रायपुर एवं बिलासपुर 02 स्थानों पर रेलवे चाइल्ड लाइन संचालित है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

छत्तीसगढ़ शासन का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य में भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी मापदण्डों एवं राज्य शासन के अवधारणानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था कराने एवं नगरीय क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य संपादित करता है। विभाग की संक्षिप्त एवं सारगर्भित उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

15.37 ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम – (2022–23) (सितंबर, 2022 की स्थिति में)

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19,678 ग्रामों के 75,233 बसाहटों में 2,51,042 हैंडपंप, शालाओं में 16,716 एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में 14,577 हैण्डपम्प इस प्रकार कुल 2,82,335 हैण्डपम्प स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राज्य में 4,583 नलजल प्रदाय योजनाएं एवं 2,201 स्थल जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।
- प्रदेश की 44,905 शालाओं एवं 39,448 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।

जल जीवन मिशन :– जल जीवन मिशन की वर्ष 2022–23 की छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक कार्ययोजना अनुमानित लागत रु. 8,089.88 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 23,57,000 कार्यरत ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022–23 में सितंबर, 2022 की स्थिति में कुल 4,83,034 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है। सितंबर 2022 की स्थिति में कुल 14,94,614 परिवारों को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है एवं सितंबर 2022 की स्थिति में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार हैः–

तालिका 15.16 जल जीवन मिशन

क्र.	विवरण	संख्या	लागत (रु. करोड़ में)	प्रस्तावित FHTC की संख्या
1	सोलर आधारित जल प्रदाय योजना	7413	3212.58	4,71,422
2	रेट्रोफिटिंग/एकल ग्रामीण जल प्रदाय योजना	21011	17414.17	39,24,445
3	स्मूह जल प्रदाय योजना	46	2367.60	5,46,375

- **सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प स्थापना** – सौर ऊर्जा पर आधारित ड्यूल ऑपरेटिंग सोलर पम्प के द्वारा जलप्रदाय का अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम में सोलर पम्प के साथ–साथ नलकूप का उपयोग हैण्डपम्प से भी जल प्राप्त किया जाता है। राज्य में अब तक 5,062 सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प की स्थापना की गई है तथा 2,600 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना भी संचालित की गयी है जिसमें पाइप लाइन बिछाकर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार राज्य में कुल 7,662 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना संचालित है।

  उपरोक्त के अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4,190 सोलर पंप स्थापित किये गये हैं।

- **जल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित जल प्रदाय योजना** :–

  राज्य के जल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गंभीरता के साथ प्रयास किये गये हैं, जिसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले में आर्सेनिक से प्रभावित चौकी क्षेत्र के 23 ग्रामों के लिए रु. 33.85 करोड़ की समूह जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण कर पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। योजना से 46,855 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।

  प्रदेश के खारे पानी से प्रभावित जिला बेमेतरा के विकासखंड नवागढ़, बेमेतरा एवं साजा के प्रभावित 152 ग्रामों के लिए रु. 201.97 करोड़ की समूह जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण कर पेयजल प्रदाय किया जा रहा है जिससे 1,68,736 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।

  जिला बस्तर के आयरन एवं फ्लोराईड से प्रभावित 33 ग्रामों के लिए रु. 49. 68 करोड़ की कोसारटेडा समूह जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण कर पेयजल प्रदाय किया जा रहा है जिससे 60,000 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।

  उपरोक्त के अतिरिक्त जिला राजनांदगांव में झोला एनीकट पर आधारित 24 ग्रामों, मोहारा एनीकट पर आधारित 23 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजना, जिला दंतेवाड़ा के गीदम विकासखंड के 9 ग्रामों की छिंदनार समूह जल प्रदाय योजना, 17 ग्रामों की धुरली समूह जलप्रदाय योजना, 8 ग्रामों की नेरली समूह जल

प्रदाय योजना, जिला कबीरधाम की 11 ग्रामों की पोड़ी समूह जल प्रदाय योजना, जिला सूरजपुर के 18 ग्रामों की हर्राटिकरा समूह जल प्रदाय योजना तथा जिला बीजापुर की भोपालपट्नम–रालापल्ली समूह जल प्रदाय योजना पूर्ण कर जल प्रदाय कर दिया गया है।

इस प्रकार 13 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजनाओं से 334 ग्रामों को सतही स्रोत के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

- शासन द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल परीक्षण हेतु राज्य में 27 जिला स्तरीय प्रयोगशाला तथा 24 उपखंड स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिससे निरंतर पेयजल का परीक्षण किया जा रहा है। 16 जिलों की 16 जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को NABL से मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

15.38 शहरीय जल प्रदाय कार्यक्रम –

- 124 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है।
- 44 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

15.39 पेयजल हेतु जन समस्या निवारण व्यवस्था –

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 1800–233–0008 स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाता है। यह व्यवस्था सतत् जारी है।